



हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा

E-Mail: hbkesm@gmail.com



Ref. No. HBKESM/9

(Through E-mail)

दिनांक: 19.10.2026

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़।

विषय: बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध एवं नोटिस की अनदेखी के खिलाफ 22, 23 एवं 24 अक्टूबर 2026 को 3-दिवसीय राज्यव्यापी पूर्ण हड़ताल का संशोधित नोटिस।

Reference : संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा पूर्व में दिए गया हड़ताल नोटिस दिनांक: 15.10.2026

श्रीमान जी,

इस पत्र के माध्यम से हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा आपके संज्ञान में यह लाना चाहता है कि सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए हड़ताल नोटिस पर ध्यान न देने तथा कर्मचारी एवं उपभोक्ता विरोधी फैसलों को जारी रखने के कारण स्थिति अत्यंत विकट हो गई है। सरकार की सह पर हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) द्वारा गुरुग्राम और नूंह जिलों के लिए निजी कंपनी 'इलेवन पावर' को 25 वर्षों के लिए समानांतर वितरण लाइसेंस देने का जन-विरोधी और कर्मचारी-विरोधी फैसला दशहरे से ठीक एक दिन पहले (18 अक्टूबर 2026) लिया गया है। समानांतर वितरण लाइसेंस इस तरह से देने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है, जहाँ पब्लिक की, उपभोक्ताओं की और तो और कानून के तहत दिए गए सारे रूल्स रेगुलेशंस की पूरी तरीके से अनदेखी हुई है। पब्लिक सेक्टर को खत्म करने को सरकार अग्रसर है, जिसका खामयाजा आने वाले समय में उपभोक्ताओं, किसानों, कर्मचारियों पर पड़ेगा।

मुनाफा कमाने वाले उच्च-राजस्व क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपकर सरकारी बिजली निगमों (DHBVN) की कमर तोड़ने की साजिश रची जा रही है। पूर्व में 10 अगस्त की बैठक में माननीय बिजली मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद, सरकार द्वारा मोर्चा के मांग पत्र एवं नोटिस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और न ही पूर्व में दिए गए नोटिस का सम्मान किया गया। इसके विपरीत, बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया गया है।

अतः सरकार द्वारा नोटिस की अनदेखी करने तथा HERC के इस काले फैसले के विरोध में, प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, किसानों व आम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन तेज़ करने तथा 22, 23 एवं 24 अक्टूबर 2026 को 3-दिवसीय राज्यव्यापी पूर्ण हड़ताल का ऐलान किया है।

नोटिस के माध्यम से संयुक्त मोर्चा ने आपको बताया था कि यदि सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन की नीतियाँ धरातल पर लायी जाती हैं, तो इस ज्ञापन को ही बिना किसी पृथक सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike Notice) का अग्रिम नोटिस समझा जाए। अतः HERC द्वारा एलेवेन पावर को लाइसेंस देने के बाद संयुक्त मोर्चा ये महसूस करता है की सरकार की बातचीत करने की कोई योजना नहीं है अतः मजबूरन सभी बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरस को स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है।

हड़ताल का संशोधित शेड्यूल:

दिनांक एवं समय	आंदोलन / विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम
22, 23 एवं 24 अक्टूबर 2026 (3 दिवसीय हड़ताल)	प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की लगातार 3 दिन की पूर्ण राज्यव्यापी हड़ताल रहेगी।

यदि इस अवधि से पूर्व हमारी न्यायसंगत मांगों और समानांतर लाइसेंस को रद्द करने पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी औद्योगिक अशान्ति की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी।

अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बिजली क्षेत्र के सार्वजनिक हितों, लाखों उपभोक्ताओं की निर्बाध बिजली सेवा और हजारों कर्मचारियों / अभियंताओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, नोटिस में दी गयी मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करें। धन्यवाद सहित।

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से:-



1. Ravinder Ghanghas

General Secretary, Haryana Power Engineers Association



2. Rajender Rana

General Secretary, AHPC Worker Union HO Hisar



3. Yashpal Deshwal

General Secretary, HSEB Worker Union HO Bhiwani



4. Rajesh Sirohi

General Secretary, HPC SC/ST & BC Employees Union

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

- माननीय श्री अनिल विज जी, माननीय बिजली मंत्री, हरियाणा सरकार।
- मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़।
- आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार (बिजली विभाग), नया सिविल सचिवालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़।
- प्रबंध निदेशक (MD), HPGCL / HVPNL / UHBVN / DHBVN, पंचकूला व हिसार।